

**नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग**

अधिसूचना

दिनांक 22 जनवरी, 1991

संख्या जे0 डी0-91/723- अद्यतन यथासंशोधित पंजाब अनुसूचित सड़के तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबन्ध अधिनियम, 1963 की धारा-4 की उप-धारा (i)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उन्हें सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल नीचे दी गई और इससे संलग्न नक्शे में दर्शायी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार गांव खेरली लाला के प्राथमिक विद्यालय, जिला गुड़गांव के आस पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियन्त्रित क्षेत्र सहर्ष घोषित करते हैं।

**अनुबन्ध**

जिला गुड़गांव के गांव खेरली लाला में प्राथमिक विद्यालय के आस पास के नियन्त्रित क्षेत्र की सीमा- अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जी) 132/90 दिनांक 30 मार्च, 1990 के साथ पढ़ा जाए।

**अनुसूची**

उत्तर, पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम:- गांव खेरली लाला की समूची राजस्व सम्पदा।

तरसेम लाल,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाण सरकार,  
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

---

**TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT**

**Notification**

The 22<sup>th</sup> January, 1991

No. JD-91/723- In exercise of the powers conferred by sub-section (i) (B) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 as amended upto date and all other powers enabling him the Governor of Haryana is pleased to declare the area around Primary School at Village-Khareli Lala, District Gurgaon as specified in the schedule given below and shown on the plan appended hereto, to be a controlled area for the purposes of the said Act:-

**ANNEXURE**

Schedule of Boundaries of the controlled area around Primary School at Village-Kherli Lala, Dist. Gurgaon to be read with Drg. No. DTP(G) 132/90 dated 30<sup>th</sup> March 1990.

**SCHEDULE**

North, East, South and West:- The entire revenue estates of village Kherli Lala.

**TARSEM LAL**

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,  
Town & Country Planning Department.